79

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

66
11-02-13

C.F. Rs. 20/-
रिव्यू 791-II/13

1. मोहम्मद जमील तनय अब्दुल जलील

2. मोहम्मद निसार तनय अब्दुल जलील

अधिवक्ता श्री कमलेश्वर द्वारा प्रस्तुत रीवा, दि0 11/02/13

3. मोहम्मद यासीन तनय इमाम बक्श

4. मोहम्मद याकूब तनय इमाम बक्श

5. हसमतअली तनय अब्दुल गफूर

6. मेंहदी हसन तनय अब्दुल गफूर

7. मुख्तार अहमद तनय अब्दुलगफूर

सभी निवासी ग्राम रामनई तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0)

"--पुर्नविलोकनकर्ता/आवेदक गण

बनाम

1. उरमानुलहक तनय नूर मोहम्मद

2. शेख मोहम्मद तनय नूर मोहम्मद

3. समसुद्दीन तनय नूर मोहम्मद

4. असगरअली तनय मोहम्मद सकूर

5. इस्माइल उमर तनय मोहम्मद सकूर

सभी निवासी ग्राम 0 रामनई तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0प्र0)

---गैरपुर्नविलोकनकर्ता/अनावेदक गण

पुर्नविलोकन विरुद्ध आदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक निगरानी/1468/[I]/06 आदेश दिनांक 22-11-2012.

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ।

मान्यवर,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश यथावत रखते हुये प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई है । जिससे दुखित होकर यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2. यह कि हल्का पटवारी ने आराजी खसरा क्रमांक 240 रकवा 0.295 हे0 , 948 रकवा 0.069 हे0, 959 रकवा 0.040 हे0, 1193 रकवा 0.113 हे0, 1287 रकवा 0.454 हे0, में आवेदक अब्दुल जलील मोहम्मद , मोहम्मद यासीन पिता इमामबक्श , हसन अली, मेहदीहसन, मुख्तार अहमद पिता अब्दुल गफूर द्वारा कृषि किये जाने एवं कब्जा होनेके सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश किया है, तथा आराजी खसरा क्रमांक 327 रकवा 0.534 हे0, 448 रकवा 0.150 हे0, 449 रकवा 0.036 हे0, में मस्जिद वाले निस्तार होकर पुस्तैनी कब्जा होने के सम्बन्ध में मय पंचनामा पेश किया है ।

3. यह कि मौके से आवेदक गण काबिज दखिल है । इसलिये आवेदक गण विवादांकित भूमियों के भूमि स्वामी व कब्जाधारी तथा अधिपत्यधारी हे0००००हे0 है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा कब्जा व अधिपत्य के सम्बन्ध में कतई विचार नही किया गया है । इसलिये पुन: विचार किया जाना न्यायोचित एवं अति आवश्यक होगा ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0– **Rev791–II/13** जिला–रीवा

मो0 जमील / उरमानुल्लहक वगैरः

(1)	(2)	(3)
19.07.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	